

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23] नई दिल्ली, शनिवार, जून 7—जून 13, 2014 (ज्येष्ठ 17, 1936)

No. 23] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 7—JUNE 13, 2014 (JYAISTHA 17, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

दी इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल 2014

सं. 1-सीए(7)/(165)/2014--चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1988 के विनियम 159(1A) के अनुसरण में दि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया की परिषद् दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की एक शाखा की दिनांक 22.03.2014 से अनंतपुर में, जिसमें अनंतपुर जिले का क्षेत्राधिकार सम्मिलित है, स्थापना को अधिसूचित करती है ।

यह शाखा दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की अनंतपुर शाखा के नाम से जानी जायेगी ।

इस शाखा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अनंतपुर जिले के सभी स्थान आयेंगे ।

जैसा कि विनियम 159(3) में विहित किया गया है, यह शाखा परिषद् के नियंत्रण, पर्यवेक्षण तथा निर्देशों के अधीन रहते हुए दक्षिण भारत प्रादेशिक परिषद् की मार्फत कार्य करेगी तथा ऐसे निर्देशों का पालन करेगी, जो परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी किये जायेंगे ।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Chartered Accountants)

New Delhi, the 4th April 2014

No.1-CA(7)/(165)/2014--In pursuance of Regulation 159(1A) of the Chartered Accountants Regulations 1988, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify the setting up of a branch of Southern India Regional Council at Anantapur covering the Jurisdiction of Anantapur District in Andhra Pradesh with effect from 22nd March, 2014.

The Branch shall be known as Anantapur Branch of the Southern India Regional Council.

The jurisdiction of the Branch shall include all the places within Anantapur District.

As prescribed under Regulation 159(3), the Branch shall function subject to the control, supervision and directions of the Council through the Southern India Regional Council and shall carry out such directions as may, from time to time, be issued by the Council.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

www.dop.nic.in